यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उपजिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग के माह 05/2012 से 05/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री ललित थपलियाल व श्री सूर्य पाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 03.06.2017 से 07.06.2017 तक श्री पी.सी.श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः तहसील, रुद्रप्रयाग

(ii) (अ) विगत तीन वर्षो में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2012-13	-	-	42.30	40.67	5.72	5.29	-	-
2013-14	-	-	53.80	52.84	8.50	7.40	-	-
2014-15	-	-	80.00	64.91	18.45	15.79	-	-
2015-16	-	-	67.50	67.50	11.80	11.80	-	-
2016-17	-	-	69.25	69.25	10.21	10.21	-	-
2017-18 (05/17 तक)			35.97	18.74	0.50	0		

(ब) **Autonomous Bodies** की इकाईयों के विगत तीन वर्षो में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थितिः निरंक।

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरणः शून्य

इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई श्रेणी 'सी' की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

मुख्य सचिव/अध्यक्ष राजस्व परिषद्
प्रमुख सचिव (राजस्व)
सचिव राजस्व/राजस्व आयुक्त
आयुक्त गढ़वाल मण्डल
अपर सचिव (राजस्व)
जिलाधिकारी
अपर जिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी
तहसीलदार
नायब तहसीलदार

(iii) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में वित्तीय लेन-देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन उपजिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 07/2013, 03/2015, 03/2016 एवं 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 व 16, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

शून्य

भाग-II 'ब'

<u>प्रस्तरः1- </u>शासकीय वाहन कटौती न किया जाना रू 3200/-

वित्त संसाधन (विविध) अनुभाग के शासनादेश संख्या 710/दस-सं.-नित-2-97, दिनांक 29 मई 1999 के अनुसार यदि किसी अधिकारी को राजकीय वाहन आबंटित है, वह उसका निजी उपयोग करे या न करे, उसके वेतन से प्रतिमाह (पैट्रोल कार के लिए रु 500 व जीप के लिए रु 400 की) कटौती की जानी चाहिए।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग के वेतन बिल पंजिका की नमूना जांच में पाया गया कि निम्न अधिकारी के वेतन से राजकीय वाहन वसूली की कटौती नही की गई है।

अधिकारी का नाम	पदनाम	अवधि		कुल माह
		कब से	कब तक	
श्री श्रेष्ठ गुन्सोला	तहसीलदार	10/2016	05/2017	8X400=3200

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि इस सम्बन्ध में कोषागार को सूचित किया जा चुका है पुनः कोषागार को कटौती सुनिश्चित करने हेतु सूचित किया जाएगा, एवं लेखा परीक्षा को सूचित किया जायेगा।

इकाई का उत्तर मान्य नही हैं, क्योंकि नियमों का अनुपालन न किया जाना गम्भीर वित्तीय अनियमितता है।

अतः प्रकरम उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II 'ब'

<u>प्रस्तरः2-</u> दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत रू 31.1 लाख का अनियमित वितरण।

गृह मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं0 32-7/2014-MDM-1 दिनांक 08/04/2015 के निर्देशों के क्रम में दैवीय/प्राकृतिक आपदा मद से देय सहायता हेतु क्षतिग्रस्त भवन का अधिकृत निर्माण होने का सत्यापन राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाना आवश्यक है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में दैवीय आपदाओं से क्षतिग्रस्त भवनों हेतु SDRF से वितरित की गई धनराशि का वर्षवार विवरण निम्नवत है-

	2015-16		2016-17		
	क्षतिग्रस्त भवनो की संख्या	वितरित धनराशि	क्षतिग्रस्त भवनों की संख्या	वितरित धनराशि	कुल धनराशि
तीक्ष्ण क्षतिग्रस्त पक्के भवन	6	6,11,400	1	101900	713300
क्षतिग्रस्त आंशिक, कच्चे भवन	49	2,54,800	104	5,40,800	7,95,600
पूर्णतः क्षतिग्रस्त पक्के भवन	-	-	09	16,03,800	16,03,800
			कुल योग		31,12,700

उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित लाभार्थियों को वितरित राशि में किसी भी प्रकरण में राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी का भवन के अधिकृत निर्माण का न तो सत्यापन प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया था और न ही लाभार्थी द्वारा अधिकृत द्वारा अधिकृत निर्माण का कोई प्रमाण प्रस्तुत किया गया था।

इकाई को इस बारे में इंगित किये जाने पर उत्तर दिया गया कि सभी क्षतिग्रस्त आवासीय भवनों की जांच राजस्व उपनिरीक्षक से जांच परीक्षण करवाने के उपरान्त नियमानुसार उच्चाधिकारियों की स्वीकृति के पश्चात ही प्रभावितों को भुगतान किया जाता है।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि गृह मंत्रालय भारत सरकार के नियमानुसार राज्य सरकार के सरकार के सक्षम अधिकारी द्वार भवन निर्माण हेतु सत्यापन प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है, जोकि किसी भी प्रकरण में संलग्न नहीं किया गया है।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II 'ब'

<u>प्रस्तरः3-</u> जिलाधिकारी द्वार तहसील को भेजे गये आर. सी. के विरूद्ध बकायेदारों से रू0 27.89 लाख की वसूली लम्बित रहना।

उत्तर प्रदेश लोकदन (देयों की वसूली) अधिनियम 1972 जो कि उत्तराखण्ड में भी प्रभावी है, में विहित देयों जैसे कि बैंक ऋणों एवं शासकीय देयों की वसूली हेतु प्रावधान किया गया हैं, अधिनियम सम्बन्धित सक्षम अधिकारी जिलाधिकारी को वसूली के विवरम प्रेषित करते हुए Revenue Recovery Certificate (RRC) वसूली हेतु हस्तक्षेप करने हेतु अधिकृत करता है, जिलाधिकारी तदुपरान्त उ0प्र0 कलेक्शन मैनुअल एवं भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बकायेदारों से देय की वसूली भू-राजस्व के देयों की वसूली की भाति कर सकता है।

जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग द्वारा तहसील रूद्रप्रयाग को 2012-2013 से 2016-17 की अवधि में वसूली हेतु प्रेषित की गयी आर0 आर0 सी0 के विरूद्ध रू0 27.89 लाख की वसूली लम्बित थी।

जबकि भू-राजस्व अधिनीयम के प्रावधानों के अनुसार वसूली वित्त वर्ष के समाप्त होने से पूर्व सुनिश्चित की जानी चाहिए।

प्रकरण उच्चाधिकारो के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	प्रस्तर का विवरण
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा			

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु उपजिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य
2. सतत् अनियमितताएः शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यरत समय अवधि	
			कब से	कब तक
	श्री ललित नारायण मिश्र	उपजिलाधिकारी	13.10.2011	07.01.2014
	श्री सी.एस. चौहान	उपजिलाधिकारी	08.01.2014	11.07.2016
	कु0 मुक्ता मिश्र	उपजिलाधिकारी	11.07.2016	22.03.2017
	श्री हिमांषू खुराना	उपजिलाधिकारी	22.03.2017	20.04.2017
	कु0 मुक्ता मिश्र	उपजिलाधिकारी	20.04.2017	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय उपजिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार (सामान्य क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र